

FORM – ‘ A ’

(See Rule 6)

Form for seeking prior approval under section 2 of the proposals by the State Governments and other authorities

PART – I

(to be filled up by user agency)

1.	Project details: (i) Short narrative of the proposal and project / scheme for which the forest land is required.	
	(ii) Map showing the required forest land, boundary of adjoining forest on a 1:50,000 scale map.	
	(iii) Cost of the project.	
	(iv) Justification for locating the project in forest area.	
	(v) Cost-benefit analysis (to be enclosed).	
	(vi) Employment likely to be generated.	
2.	Purpose- wise break-up of the total land required.	
3.	Details of displacement of people due to the project, if any: (i) Number of families.	
	(ii) Number of Scheduled Castes / Scheduled Tribes families	
	(iii) Rehabilitation plan. (To be enclosed)	
4.	Whether clearance under Environment (Protection) Act, 1986 required? (yes/ no).	

5.	Undertaking to bear the cost of raising and maintenance of compensatory afforestation and / or penal compensatory afforestation as well as cost of protection and regeneration of Safety Zone, etc. as per the scheme prepared by the State Government (undertaking to be enclosed).	
6.	Details of Certificates / documents enclosed as required under the instructions.	

Signature

(Name in Block letters)

Designation

Address (of User Agency)

Date ;-- _____

Place :- _____

State serial No. of proposal _____

(to be filled up by the Nodal Officer with date of receipt)

PART – II

(to be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests)

State serial No. of proposal _____

Name of Project :-

7.	Location of the project / Scheme:	
	(i) State / Union Territory	
	(ii) District	
	(iii) Forest Division	
	(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.)	
	(v) Legal status of forest	
	(vi) Density of vegetation	
	(vii) Species-wise (scientific names) and diameter class-wise enumeration of trees (to be enclosed. In case of irrigation / hydel projects enumeration at FRL, FRL-2 meter & FRL-4 meter also to be enclosed.)	
	(viii) Brief note on vulnerability of forest area to erosion.	
	(ix) Approximate distance of proposed sites for diversion from boundary of forest.	
	(x) Whether forms part of national Park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc. (if so, details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed).	
(xi) Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area-if so details there of.		

	(xii) Whether any protected archaeological / heritage site / defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.	
8.	Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 of part –I is unavoidable and barest minimum for the project. If no, recommended areas item-wise with details of alternative examined.	
9.	Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes / No). if yes, details of the same including period of work done, action taken on erring officials. Whether work in violation is still in progress.	
10.	Details of compensatory afforestation scheme:	
	(i) Details of non forest area / degraded forest area identified for compensatory afforestation, its distance from adjoining forest, number of patches, size of each patch.	
	(ii) Map showing non-forest / degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries.	
	(iii) Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure, etc.	
	(iv) Total financial outlay for compensatory afforestation scheme.	
	(v) Certificate from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view. (To be signed by the concerned Deputy Conservator of Forests).	

11.	Site inspection report of the DCF (to be enclosed) especially highlighting facts asked in col. 7 (xi, xii), 8 and 9 above.	
12.	Divisional / District profile:	
	(i) Geographical area of the district.	
	(ii) Forest area of the district.	
	(iii) Total forest area diverted since 1980 with number of cases.	
	(iv) Total compensatory afforestation stipulated in the district / division since 1980 on	
	a) forest land including penal compensatory afforestation,	
	b) non-forest land.	
(v) Progress of compensatory afforestation as on (date)_____ on		
	a) forest land	
b) non-forest land.		
13.	Specific recommendations of the DCF for acceptance or otherwise of the proposal with reasons.	

Signature

Name

Official Seal

Date ;-_____

Place ;-_____

PART – III

(to be filled by the concerned Conservator of Forests)

Name of Project :-

Forest Area / land proposed for Diversion :-

District :-

Forest Division :-

2. Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forests (yes / no). If yes, the date of inspection & observation made in form of inspection note to be enclosed.

3. Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and the recommendation of Deputy Conservator of Forests.

4. Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.

Signature

Name

Official Seal

Date ;- _____

Place ;- _____

PART – IV

**(to be filled by the Nodal officer or Principal Chief Conservator of Forests or
Head of Forest department)**

Name of Project :-

Forest Area / land proposed for Diversion :-

District :-

Forest Division :-

- 17.** Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon)

Signature

Name & Designation

(Official seal)

Date :- _____

Place : _____

PART – V

(to be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Name of Project :-

Forest Area / land proposed for Diversion :-

District :-

Forest Division :-

18. Recommendation of the State Government:

(Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)

Signature

Name & Designation

(official Seal)

Date :- _____

Place :- _____

परिशिष्ट
(देखिए नियम 6)

फार्म - " क "

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा - 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1.	परियोजना विवरण (i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का विवरण	
	(ii) 1 : 50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	
	(iii) परियोजना की लागत	
	(iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	
	(v) लागत लाभ विश्लेषण	
	(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है (i) परिवारों की संख्या (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	

5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	

हस्ताक्षर
(नाम साफ अक्षरों में)
पदनाम
पता (प्रयोक्ता एजेंसी)

तिथि :.....
स्थान :.....

प्रस्ताव की राज्य कम सं.
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग- II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या:-

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	
	(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
	(ii) जिला	
	(iii) वन प्रभाग	
	(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	
	(v) वन की कानूनी स्थिती	
	(vi) हरियाली का घनत्व	
	(vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर. एल.। (एफ. आर. एल -2 मीटर पर परिगणना और एफ. आर. एल. 4 मीटर भी संलग्न किए जाए।)	
	(viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	
	(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	
	(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	
	(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है (यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें)	
	(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग- I कालम 2 में प्रस्तावित वन	

	भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्योरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या का आकार।	
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित उप वन संरक्षक से हस्ताक्षरित किया जाए)	
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालंम् 7 (xi , xii) , 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	

	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	
	(ii) जिले का वन क्षेत्र	
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेतर भूमि पर	
	(v)तक प्रतिपूरक वनीकरण में (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेतर भूमि पर	
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

तिथि :

स्थान :

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

परियोजना का नाम :-

वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :-

नाम वन मण्डल :-

जिला :-

7. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

8. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग - ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सूझावों से सहमत हैं।

9. प्रस्ताव की स्वीकृती या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

तिथि :.....

स्थान :.....

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम :-

वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :-

नाम वन मण्डल :-

जिला :-

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

तिथि :.....

स्थान :.....

भाग-V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो
अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

परियोजना का नाम :-

वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :-

नाम वन मण्डल :-

जिला :-

18. राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल
टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

तिथि :.....

स्थान :.....